रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252366
CG-DL-E-26022024-252366

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945
No. 121] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 132(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नोटेरी नियम, 1956 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7क के उपनियम (2) में,

(i) "उप विधिक सलाहकार या विधि अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "उप विधिक सलाहकार या उप विधायी परामर्शी या उप सरकारी अधिवक्ता या विधि अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परन्तुक में, "परंतु यह कि" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु इस उपनियम के अधीन साक्षात्कार बोर्ड एकल सदस्य या एक से अधिक सदस्य से मिलकर बन सकेगा;

परंतु यह और कि";

E2214288
10.5.24

3. उक्त नियमों के नियम 8 के उप नियम (4 क) में, तीसरे परन्तुक के अधीन "कोटा की वृद्धि" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन नोटेरियों की अधिकतम संख्या में वृद्धि" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 8क में,

(i) पार्श्व शीर्ष में "विस्तार" शब्द के स्थान पर "परिवर्तन" शब्द रखा जाएगा ।

(ii) "विस्तार" शब्द जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर "परिवर्तन" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 8ख में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

(i) "परंतु यह भी कि व्यवसाय के प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन भौतिक रूप में किया जा सकेगा;

(ii) परंतु यह भी कि नोटेरी नियम (संशोधन), 2024 के प्रारंभ से पूर्व भौतिक रूप में प्राप्त आवेदनों पर विद्यमान नोटेरियों के व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा ।

6. उक्त नियमों के नियम 9 में, "विस्तार" शब्द जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर "परिवर्तन" शब्द रखा जाएगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 11 के उपनियम (5) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "समुचित सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों की सारणी में, -

(i) आंध्र प्रदेश से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (2) में "1700" अंकों के स्थान पर, "3000" अंक रखे जाएंगे;

(ii) असम से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (2) में "575" अंकों के स्थान पर, "1000" अंक रखे जाएंगे ;

(iii) बिहार से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (2) में "925" अंकों के स्थान पर, "2000" अंक रखे जाएंगे ;

(iv) गुजरात से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ (2) में "8000" अंकों के स्थान पर, "12000" अंक रखे जाएंगे;

(v) केरल से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ (2) में "1750" अंकों के स्थान पर, "3500" अंक रखे जाएंगे ;

(vi) मध्य प्रदेश से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ (2) में "1650" अंकों के स्थान पर, "4000" अंक रखे जाएंगे;

(vii) तमिलनाडु से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने, स्तंभ (2) में "4700" अंकों के स्थान पर, "9000" अंक रखे जाएंगे;

(viii) महाराष्ट्र से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ (2) में "8000" अंकों के स्थान पर, "20000" अंक रखे जाएंगे

(ix) कर्नाटक से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने, स्तंभ (2) में "3500" अंकों के स्थान पर, "7000" अंक रखे जाएंगे ;

(x) उड़ीसा से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने, स्तंभ (1) में "उड़ीसा" शब्द के स्थान पर "ओडिशा" शब्द रखा जाएगा और स्तंभ (2) में "750" अंकों के स्थान पर, "2000" अंक रखे जाएंगे ;

(xi) पंजाब से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने, स्तंभ (2) में "2000" अंकों के स्थान पर, "3500" अंक रखे जाएंगे ;

(xii) राजस्थान से संबंधित क्रम संख्या 12 के सामने, स्तंभ (2) में "4500" अंकों के स्थान पर, "7000" अंक रखे जाएंगे ;

(xiii) उत्तर प्रदेश से संबंधित क्रम संख्या 13 के सामने, स्तंभ (2) में "5150" अंकों के स्थान पर, "14000" अंक रखे जाएंगे ;

(xiv) पश्चिमी बंगाल से संबंधित क्रम संख्या 14 के सामने, स्तंभ (2) में "600" अंकों के स्थान पर, "2000" अंक रखे जाएंगे ;

(xv) जम्मू-कश्मीर से संबंधित क्रम संख्या 15 के सामने, स्तंभ (2) में "350" अंकों के स्थान पर, "500" अंक रखे जाएंगे ;

(xvi) हरियाणा से संबंधित क्रम संख्या 17 के सामने, स्तंभ (2) में "2000" अंकों के स्थान पर, "3500" अंक रखे जाएंगे ;

(xvii) हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्रम संख्या 18 के सामने, स्तंभ (2) में "400" अंकों के स्थान पर, "800" अंक रखे जाएंगे ;

(xviii) गोवा से संबंधित क्रम संख्या 25 के सामने, स्तंभ (2) में "150" अंकों के स्थान पर, "350" अंक रखे जाएंगे ;

(xix) उत्तरांचल से संबंधित क्रम संख्या 26 के सामने, स्तंभ (1) में "उत्तरांचल" शब्द के स्थान पर "उत्तराखंड" शब्द रखा जाएगा और स्तंभ (2) में "325" अंकों के स्थान पर, "400" अंक रखे जाएंगे ;

(xx) छत्तीसगढ़ से संबंधित क्रम संख्या 27 के सामने, स्तंभ (2) में "900" अंकों के स्थान पर, "2000" अंक रखे जाएंगे;

(xxi) झारखंड से संबंधित क्रम संख्या 28 के सामने, स्तंभ (2) में "450" अंकों के स्थान पर, "1000" अंक रखे जाएंगे ;

(xxii) तेलंगाना से संबंधित क्रम संख्या 28क के सामने, स्तंभ (2) में "1000" अंकों के स्थान पर, "2000" अंक रखे जाएंगे ;

(xxiii) दिल्ली से संबंधित क्रम संख्या 29 के सामने, स्तंभ (2) में "1600" अंकों के स्थान पर, "2400" अंक रखे जाएंगे ;

9. उक्त नियमों के 'प्ररूप- I' एवं 'प्ररूप- II' के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रारुपों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप I

[नियम 4(2) देखें]

फोटो

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता/पति का नाम..

3. जन्म की तारीख...

4. लिंग: पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर.......................................

5. क्या अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य.......................................

6. क्या व्यक्ति बेंचमार्क दिव्यांगताग्रस्त है (पीडब्ल्यूबीडी) .... (हां/नहीं)

(i) यदि हां, तो दिव्यांगता की प्रतिशत...................................

(ii) पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी..

(एक वैध पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र अपलोड करें)

7. आधार नंबर (वैकल्पिक) ....

8. पेन नंबर ....

9. पता (निवास)..

.... पिन ....

पता (कार्यालय)..

.... पिन ....

मोबाइल नंबर .... ई-मेल ....

10. शैक्षणिक योग्यता .... (कृपया स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें)

11. नामांकन संख्या और विधिज्ञ परिषद् के साथ नामांकन की तारीख (कृपया स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें)

12. अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय के वर्ष की संख्या ....

13. क्या आय-कर निर्धारिती हैं (हां/नहीं) ....

(यदि हां, कृपया पिछले दो वित्तीय वर्ष के आय-कर की विवरणी अपलोड करें)

14. आवेदक........... (आवेदक का स्पष्ट अक्षरों में नाम) एतद्वारा घोषणा करता है कि ...

(i) आवेदक नोटेरी अधिनियम, 1952 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है ;

(ii) आवेदक .... (विद्यमान व्यवसाय के स्थान का वर्णन करें) में अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता है ।

(iii) आवेदक नोटेरी पब्लिक के रूप में .... राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के .... स्थान में (स्थानीय क्षेत्र/ जिला / उप-प्रभाग / तालुका, जहां वह नोटेरी पब्लिक के रूप में व्यवसाय करना चाहता है) व्यवसाय करने का आशय रखता है ।

(iv) आवेदक के किसी पूर्व आवेदन को पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के भीतर अस्वीकार नहीं किया गया या उसके द्वारा वापस नहीं लिया गया है ।

आवेदक, इसलिए, प्रार्थना करता है कि सरकार नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के साथ पठित नोटेरी नियम, 1956 के अधीन और उसके आधार पर उसे .... (यहां उस स्थानीय क्षेत्र का नाम का वर्णन करें, जहां वह नोटेरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है) नोटेरी के रूप में नियुक्त किया जाए और अनुमत किया जाए ।

तारीख...........मास 20.........

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण. — (1) प्ररूप 1 में आवेदन की हार्ड प्रति या अग्रिम प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी ।

(2) आवेदन प्ररूप भरते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है :—

(i) जन्म की तारीख से संबंधित प्रमाण

(ii) पैन कार्ड की प्रति

(iii) स्नातक डिग्री की प्रति

(iv) विधि की डिग्री की प्रति (एलएल.बी. या समतुल्य).

(v) संबंधित विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी नामांकन की प्रति या प्रमाण पत्र ।

(vi) नोटेरी के रूप में चयन पर संबंधित राज्य की विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

(vii) एक वैध पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र की प्रति, यदि कोई हो (यदि पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अधीन आवेदन किया जा रहा है) ।

प्ररूप II

[नियम 4(2) देखें]

फोटो

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता/पति का नाम ....

3. जन्म की तारीख ....

4. लिंग: (पुरुष/महिला/ ट्रांसजेंडर).................................

5. क्या अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य ....

6. क्या बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाला व्यक्ति है .... (हाँ/नहीं)
   a. यदि हां, तो दिव्यांगता का प्रतिशत ....
   b. पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी ....
7. आधार नंबर (वैकल्पिक) ....
8. पेन नंबर ....
9. पता (निवास)...

   .... पिन ....

   पता (कार्यालय)..

   .... पिन ....
10. मोबाइल नंबर .... ई-मेल ....
11. शैक्षणिक योग्यता...
12. क्या वह न्यायिक सेवा के सदस्य रहे हैं या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अधिकारी रहे हैं या सशस्त्र बलों के विधिक विभाग में जज एडवोकेट जनरल के विभाग में अधिकारी रहे हैं ....(हां/नहीं)
    (i) यदि हाँ, तो सेवा में सम्मिलित होने की तारीख ....
    (ii) सेवानिवृत्ति की तारीख ....
    (iii) सेवानिवृत्ति के समय पदनाम ....
    (iv) वर्ष और मास में सेवा की अवधि .... वर्ष ....मास
13. क्या वह भारतीय विधिक सेवा के सदस्य रहे हैं .... (हां/नहीं)
    (a) यदि हां, तो भारतीय विधिक सेवा में सम्मिलित होने की तारीख ....
    (b) सेवानिवृत्ति के समय भारतीय विधिक सेवा में धारित पद ....
14. क्षेत्र (जिला/उप-प्रभाग) जहां आवेदक नोटेरी पब्लिक के रूप में व्यवसाय करने का आशय रखते हैं ....

तारीख...........मास 20.........

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण — नोटेरी नियम, 1956 के नियम 3(ख) और (ग) के अधीन पात्रता के विषय में आवश्यक प्रमाण संलग्न किया जाना है।

10. उक्त नियमों के 'प्ररूप- 2ख' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 2ख

[नियम 8(5) देखें]

.... सरकार

(प्रतीक चिह्न)

व्यवसाय का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....पुत्र/ पुत्री /पत्नी श्री .... निवासी .... को नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नोटेरी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें नोटेरी के रूप में संपूर्ण

.... में व्यवसाय करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

मेरे हस्ताक्षर से और सरकार की मुद्राधीन तारीख .... को दिया गया ।

उप विधिक सलाहकार / अपर विधिक सलाहकार / संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार, भारत सरकार/ अपर सचिव, भारत सरकार/ सचिव, ... सरकार (राज्य का नाम);"

[फा.सं. 15011/20/2023-नोटेरी सेल]

आशुतोष मिश्र, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.176(अ), तारीख 13 मार्च, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2024

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7A, in sub-rule (2),

(i) for the words "Deputy Legal Adviser or Law Officer", the words "Deputy Legal Adviser or Deputy Legislative Counsel or Deputy Government Advocate or Law Officer" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "Provided that" the following shall be substituted, namely : —

"Provided that the Interview Board under this sub-rule may consist of a single member or more than one member;

Provided further that";

3. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (4A), under the third proviso, for the words "enhancement of quota" the words "enhancement of maximum number of notaries under column (3) of the Schedule" shall be substituted.

4. In rule 8A of the said rules,

(i) in the marginal heading for the word "extension", the word "change" shall be substituted.

(ii) For the word "extension" wherever it occurs, the word "change" shall be substituted.

5. In rule 8B of the said rules, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the application for renewal of certificate of practice may be made in physical form;

Provided also that the applications received in physical form before the commencement of the Notaries (Amendment) Rules, 2024 may also be considered by the appropriate government for the purpose of renewal of the Certificate of Practice of the existing notaries.";

6. In rule 9 of the said rules, for the word "extension" wherever it occurs, the word "change" shall be substituted.

7. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (5), for the words "State Government", the words "appropriate government" shall be substituted.

8. In the Schedule to the said rules,—

(i) against serial number 1 relating to Andhra Pradesh, in column (2), for the figures "1700", the figures "3000" shall be substituted;

(ii) against serial number 2 relating to Assam, in column (2), for the figures "575", the figures "1000" shall be substituted;

(iii) against serial number 3 relating to Bihar, in column (2), for the figures "925", the figures "2000" shall be substituted;

(iv) against serial number 4 relating to Gujarat in column (2), for the figures "8000", the figures "12000" shall be substituted;

(v) against serial number 5 relating to Kerala, in column (2), for the figures "1750", the figures "3500" shall be substituted;

(vi) against serial number 6 relating to Madhya Pradesh, in column (2), for the figures "1650", the figures "4000" shall be substituted;

(vii) against serial number 7 relating to Tamil Nadu, in column (2), for the figures "4700", the figures "9000" shall be substituted;

(viii) against serial number 8 relating to Maharashtra, in column (2), for the figures "8000" the figures "20000", shall be substituted;

(ix) against serial number 9 relating to Karnataka, in column (2), for the figures "3500", the figures "7000" shall be substituted;

(x) against serial number 10 relating to Orissa, the word "Orissa" in column (1) shall be substituted with the word "Odisha" and in column (2), for the figures "750", the figures "2000" shall be substituted;

(xi) against serial number 11 relating to Punjab, in column (2), for the figures "2000", the figures "3500" shall be substituted;

(xii) against serial number 12 relating to Rajasthan, in column (2), for the figures "4500", the figures "7000" shall be substituted;

(xiii) against serial number 13 relating to Uttar Pradesh, in column (2), for the figures "5150", the figures "14000" shall be substituted;

(xiv) against serial number 14 relating to West Bengal, in column (2), for the figures "600", the figures "2000" shall be substituted;

(xv) against serial number 15 relating to Jammu & Kashmir, in column (2), for the figures "350", the figures "500" shall be substituted;

(xvi) against serial number 17 relating to Haryana, in column (2), for the figures "2000", the figures "3500" shall be substituted;

(xvii) against serial number 18 relating to Himachal Pradesh, in column (2), for the figures "400", the figures "800" shall be substituted;

(xviii) against serial number 25 relating to Goa, in column (2), for the figures "150", the figures "350" shall be substituted;

(xix) against serial number 26 relating to Uttaranchal, the word 'Uttaranchal' in column (1) shall be substituted with the word 'Uttarakhand' and in column (2), for the figures "325", the figures "400" shall be substituted;

(xx) against serial number 27 relating to Chhattisgarh, in column (2), for the figures "900", the figures "2000" shall be substituted;

(xxi) against serial number 28 relating to Jharkhand, in column (2), for the figures "450", the figures "1000" shall be substituted;

(xxii) against serial number 28A relating to Telangana, in column (2), for the figures "1000", the figures "2000" shall be substituted;

(xxiii) against serial number 29 relating to Delhi in column (2), for the figures "1600", the figures "2400" shall be substituted;

9. For 'Form-I' and Form-II of the said rules, the following Forms shall respectively be substituted, namely:—

"Form I

[See rule 4(2]

Photograph

1. Name of the applicant ....
2. Father's/Husband's name..
3. Date of Birth..
4. Gender: Male/Female/Transgender ....
5. Whether SC/ST/OBC/General.......................................
6. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD) .... (Yes/No)

   (i) If Yes, percentage of disability ....

   (ii) Category of PwBD ....

   (upload a valid PwBD certificate)
7. Aadhar number (optional) ....
8. PAN Number ....
9. Address (residence)..

   ....

   .... PIN ....

   Address (official)...

   .... PIN ....

   Mobile number .... E-mail..........................
10. Educational Qualifications ....

    (Please upload scanned copies)
11. Enrolment number and date of enrolment with the Bar Council (Please upload scanned copy) ....
12. Number of years of practice as an advocate ....
13. Whether Income-tax assessee (Yes/No) ....

    (If yes, please upload income-tax return of previous two financial years)
14. The applicant .... (name of the applicant in block letters) do hereby showeth...

    (i) That the applicant is a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952, and the rules made thereunder;

    (ii) That the applicant practices as an Advocate at .... (mention the name of place of present practice).

    (iii) That the applicant is willing to practice as a Notary Public at .... (state the name of the local area/district/sub-division/taluka where he intends to practice as a Notary Public) in the State/Union Territory of ....

    (iv) That no previous application of the applicant has been rejected or withdrawn by him, within the preceding six months;

    The applicant, therefore, prays that the Government be pleased to appoint and admit him/her as a notary under and by virtue of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) read with the Notaries Rules, 1956 to practice at .... (Mention here the name of the local area where he/she intends to practice as Notary).

Dated...........day of.......20..........

Signature of the applicant

Note. — (1) No hard copies or advance copies of the application in Form 1 will be accepted.

(2) The following documents are required to be uploaded while filling up the application form:-

(i) Proof pertaining to date of birth,

(ii) Copy of the PAN Card.

(iii) Copy of Graduation Degree.

(iv) Copy of the Law Degree (LL.B. or equivalent).

(v) Copy of Certificate of enrolment issued by the Bar Council concerned.

(vi) No Objection Certificate issued by the Bar Council of the concerned State needs to be submitted on selection as notary.

(vii) Copy of a valid PwBD Certificate, if any (if applying under PwBD category).

FORM II

[See rule 4(2)]

Photograph

1. Name of the applicant...
2. Father's / Husband's name..
3. Date of Birth..
4. Gender: (Male/Female/Transgender) ....
5. Whether SC/ST/OBC/General..
6. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD).......... (Yes/No)
   (i) If Yes, percentage of disability ....
   (ii) Category of PwBD ....
7. Aadhar number (optional) ....
8. PAN ....
9. Address (residence) ....
   ....PIN ....
   Address (office) ....
   .... PIN ....
10. Mobile number .... E-mail ....
11. Educational Qualifications ....
12. Whether had been a member of judicial service or officer under the Central or State Government or officer in the department of Judge Advocate General in the legal department of the armed forces ....(Yes/No)
    (i) If yes, Date of joining ....
    (ii) Date of Retirement ....
    (iii) Designation at the time of retirement ....
    (iv) Period of service in Years & Months .... Years ....Month(s)
13. Whether had been a member of Indian Legal Service .... (Yes/No)
    (c) If yes, date of joining the Indian Legal service ....
    (d) Post held in the Indian Legal service at the time of retirement ....

14. Area (District/Sub-Division) where the applicant intends to practice as Notary Public ....

Dated......day of .... 20...

Signature of applicant

Note.— Necessary proof about eligibility under rule 3(b) and (c) of the Notaries Rules, 1956, is to be attached."

10. For 'Form-II B' of the said rules, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM IIB

[See Rule 8(5)]

Government of ____________

[Emblem]

CERTIFICATE OF PRACTICE

Certified that ....son/daughter/wife of...resident of .... has been appointed as a notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and is authorised to practise as such in and throughout .... for a period of five years.

Given under my hand and seal of the Government of ....on this .... day of ......20..........

Deputy Legal Adviser/

Additional Legal Adviser/

Joint Secretary & Legal Adviser to the Government of India/

Additional Secretary to the Government of India/

Secretary to the Government of...............(Name of the State);"

[F. No. 15011/20/2023-Notary Cell]

ASHUTOSH MISHRA, Jt. Secy. & L. Ad.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.R.O. 324, dated the 14th February, 1956 and was last amended vide notification number G.S.R. 176(E), dated the 13th March, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.